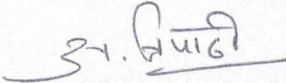


छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30/03/13

क्रमांक एफ 10-14/2013/वा.कर (आब.)/पांच (20) - छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/27/2003 वा. कर (आब.)/पांच (34), रायपुर दिनांक 10 अप्रैल 2003 को अतिष्ठित करते हुए एतद्वारा प्ररूप एफ.एल. 5 में मंजूर की जाने वाली आकस्मिक अनुज्ञप्ति के लिये अनुज्ञप्ति फीस के रूप में रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) मात्र प्रतिदिन विहित करती है। यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रभावशील होगा।

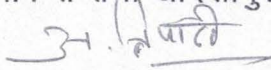
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक

क्रमांक F 10-14/13/वा.क. (आब.)/पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F 10-14/13/वा.क. (आब.)/पांच (20) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

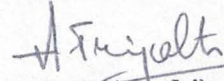
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Commercial Tax (Excise) Department
Mantralaya Mahanadi bhavan,
Capital Complex, Naya Raipur

NOTIFICATION

Raipur, dated 30/03/13

No F. 10-14/2013/CT(Ex)/V(20): In Exercise of the powers conferred by sub-Rule (2) of rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules 1996 and in supersession to the notification No.F 10/27/2003/CT(EX) /V (34), dated 10-04-2003 issued in this behalf the State Government hereby prescribed the fee of F.L.-5 per day Rs. 20,000/- (Twenty thousand). This amendment shall come into force with effect from 01 April 2013.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(A.P. Tripathi)
Joint Secretary